तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न पक्षों की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन "छिन्दवाड़ा जिले की तामिया एवं सौंसर तहसील के विशेष सन्दर्भ में

मुकेश कुमार उसरेठे
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

सरांश
म.प्र. में शासकीय तेंदूपत्ता नीति के आर्थिक क्रियान्वयन का विश्लेषनात्मक अध्ययन के अंतर्गत तामिया एवं सौंसर तहसील के विशेष संदर्भ में शोध करके इस निष्कर्ष पर पहुॅचा गया है कि तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व ग्रामीण आदिवासियों वनवासियों एवं जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी एवं उन्हें वर्ष में केवल कुछ माह ही कृषि कार्य में रोजगार मिल पाता था और वह भी अनियमित रूप से था। तथा कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों की आर्थिक आय का कोई और साधन नहीं था। एवं सम्पूर्ण परिवार में से केवल 1 या दो व्यक्ति को ही कृषि कार्य में मजदूरी मिल पाती थी और वह भी अनियमित रूप से। समृद्ध किसान इन मजदूरों को केवल कृषि में कार्य के समय बुला लिया करते थे एवं उसी समय का मजदूरी भुगतान किया करते थे। शेष समय के मजदूर बेजरोजगार बैठे रहते थे। किन्तु तेन्दूपत्ता संग्रहण के पश्चात् इन मजदूरों को कृषि के अतिरिक्त रोजगार मिलने लगा। एवं जब वे खाली समय घरों में बैठे रहते थे। उस समय इनको तेन्दूपत्ता तोड़ने का काम प्राप्त होने लगा। एवं इस कार्य से इनको शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में मजदूरी का भुगतान किया जाने लगा जिससे इनकी जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त आमदनी होने लगी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य से ग्रामीण आदिवासियों वनवासी एवं अनु.जाति तथा जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सक्षम एवं मजबूत हुई है।

मुख्यबिन्दु :– जनजाति वर्ग, आर्थिक क्रियान्वयन, राजस्व व्यापार अधिनियम

I प्रस्तावना

म.प्र. भारत का हृदय स्थल माना जाता है जिसमें गौरव पूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, भौगोलिक विविधताओं और प्राकृतिक संपदाओं के कारण पहचाना जाता है आजादी के बाद वनो के विकास एवं संरक्षण के लिए नई नीति बनाई गई इसी तारतम्य में म.प्र. तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन अधिनियम) 1994 के प्रावधान तैयार किये गये इसी अधिनियम में वनों में रहने वाले आदिवासियों एवं वनों करीब रहनें वाले ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए म.प्र. सरकार द्वारा तेंदूपत्ता नीति लागू की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य, वनवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नागरिको को एवं कमजोर वर्ग तथा ग्रामीण व्यक्तियों कें द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण करवाकर योजना के माध्यम से इन नागरिको की आर्थिक स्थिती में सुधार किया जा सकें तथा इस योजना के माध्यम से म.प्र. सरकार को भी करोड़ो रूपये के राजस्व की भी प्राप्ती होती है।

छिन्दवाड़ा जिले एवं उसकी तामिया एवं सौंसर तहसील तथा अन्य तहसीलों में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य वर्ष 1988 से सहकारिता के प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिक लधु वनोपज समितियों के सदस्यों द्वारा संग्रहित कराया जा रहा है

II उद्देश्य

शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे आदिवासी वर्ग के व अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगो को अधिक से अधिक रोजगार दिलाना,उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना तथा उनकी आर्थिक स्थिती को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाना है साथ ही म.प्र. शासन को तेंदूपत्ता के विक्रय से प्राप्त होने वाले राजस्व की मात्रा को भी बढ़ाना है

III शोध परिकल्पना

म.प्र. शासन द्वारा तैयार की गई तेंदूपत्ता नीति के अंतर्गत वनमंडल कार्यालय के माध्यम से प्रदत्त वित्तीय सुविधायें, तेंदूपत्ता बोनस वितरण एवं सहकारी समिति के सदस्यों को इस योजनाओं के माध्यम से पहुॅचाये गये लाभों से उनके आर्थिक उन्नति अवश्य हुयी है किन्तु आज भी उनकी मेहनत के प्राप्त होने वाले प्रतिफलों में कुछ कमियॉ हैं अतः वनमंडल कार्यालय छिन्दवाड़ा के नियंत्रण में तेंदूपत्ता नीति संचालन की आय व्यय की जानकारी परिकल्पना होना स्वभाविक है प्रस्तुत शोध पत्र में निम्नलिखित परिकल्पना को दृष्टि में रखकर शोध कार्य प्रारंभ किया है। –

(क) गरीब व निर्धन समिति सदस्य को आने वाली समस्याओं का पता लगाना।

(ख) इस योजना के लागू करने में आने वाली समस्या का पता लगाना ।

(ग) अनावश्यक अपव्यय,दोषपूर्ण रवैया और अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याओं के दोषो को उजागर करना ।

(घ) तेंदूपत्ता संग्रहण के अंतर्गत श्रेणी करण संबंधी एवं भंडारण संबंधी समस्याओं का पता लगाना।

IV संदर्भित विषय में पूर्व शोध साहित्य

छिन्दवाडा जिले के मुख्य वन संरक्षक कार्यालय एवं तीनों वन मंडल (पूर्व वनमंडल, पश्चिम वनमंडल, दक्षिण वनमंडल) के अधिकारी एवं कर्मचारियों से गहन रूप से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि अभी तक म.प्र. में "शासकीय तेन्दूपत्ता नीति के आर्थिक क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययनश छिन्दवाडा जिलें के विशेष संदर्भ

में ''शीर्षक पर छिन्दवाडा जिले में अभी तक कोई भी शोध कार्य नही किया गया है एवं तेन्दूपत्ता से संबंधित किसी भी विषय पर आज तक छिन्दवाड़ा जिले में कोई भी शोध कार्य नही किया गया है। किन्तु मण्डला जिले में इससे सन्दर्भित विषय पर शीर्षक "मध्यप्रदेश की वनोपज का विवरण विवेचनात्मक अध्ययन (मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में)" शोधार्थी माधव राम सिंहारे तथा शोध निर्देशक डॉ. विजय कुमार बांसल द्वारा कार्य किया गया है। एवं मण्डला जिले में ही इससे संदर्भित विषय शीर्षक "प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का विशिष्ट अध्ययन (मण्डला वन मण्डल के संदर्भ में)" शोधार्थी पी.एस. कातुलकर एवं शोध निर्देशक डॉ. मुकेश जैन द्वारा कार्य किया गया है तथा मेरे शीर्षक से संदर्भित विषय पर "वनोपजों का आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान (जबलपुर संभाग के विशेष संदर्भ में)" विषय पर शोध कार्य पूर्व में हुआ है। इसके शोधार्थी विनय कुमार वाजपेयी एवं शोध निर्देशक डॉ. वेद प्रकाश करवाल द्वारा इस शीर्षक पर कार्य पूर्व में किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे शीर्षक के संबंधित विषय "बीड़ी उद्योग में कार्यरत् श्रमिकों का आर्थिक मूल्यांकन (जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में)" पर भी शोधकार्य किया गया है। जिसके शोधार्थी कैलाश शर्मा एवं शोध निर्देशक डॉ. वेद प्रकाश करवाल हैं। इससे संदर्भित विषय को जानने में थोड़ी सहायता मिली परन्तु पर्याप्त अध्ययन कार्य नहीं हो पाया था।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''म.प्र. में शासकीय तेंदूपत्ता नीति के आर्थिक क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में'' मूल रूप से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं आदिवासियों से संबंधित है। यद्यपि भारत में सहकारिता एवं सहकारी समितियों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिससे संबंधित साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इस पर देश भर में अनेक शोधकार्य भी किये जा चुके है, तथापि ''म.प्र. में शासकीय तेंदूपत्ता नीति के आर्थिक क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' को केन्द्र में रखकर कोई भी सारगर्भित अध्ययन या शोध कार्य कहीं दिखाई नहीं देता। यदि हम अन्य प्रांतों एवं विश्वविद्यालयों में शासकीय तेंदूपत्ता नीति के आर्थिक क्रियान्वयन पर किये गये अध्ययनों पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि इससे संबंधित विभिन्न शोध अध्ययन हुए हैं किंतु उनमें अधिकांश सामान्यीकरण का स्वरूप धारण किये हुए है। ऐसे अध्ययनों की अपनी महत्ता है। अतः वन अध्ययनों का संतूलित सनादर किया गया है।

प्रस्तुत शोध विषय के संबंध में अब तक जो भी अध्ययन हुए है अथवा जो भी साहित्य उपलब्ध है उसमें से अधिकांश का अवलोकन किया गया है तथा उन्हें संदर्भ ग्रंथ सूची में दर्शाया गया है। इसके साथ ही शोध ग्रंथ में यत्र–तत्र स्थानों पर समुचित संदर्भ देकर संबंधित साहित्य की समीक्षा को स्थान दिया गया है। कतिपय संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण या पुनरावलोकन को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

V शाध प्रविधि एवं क्षेत्र

शोध कार्य को विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक अध्याय की विषय साम्रगी हेतु आवश्यक सूचनायें व ऑकडें संग्रहित किये गये है समंको के संग्रहण हेतु शोध कार्य में प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है।

VI शोध उपकरण एवं सांख्यिंकीय तकनीक

शोध उपकरण के अंतर्गत अनुसूची बनाना, प्रश्नावली बनाना साक्षात्कर देना, वर्गीकरण व सारणीयन करना, वर्गीकरण व सारणीयन के उद्देश्य निर्धारित करना उनके उपयोग एवं लाभ, महत्व, अवलोकन करना, समंको का विश्लेषण करना सम्मिलित है प्रस्तुत शोध में तेंदूपत्ता संग्रहण से वन वासी, आदिवासी लोगो को प्राप्त रोजगार एवं तेंदूपता से प्राप्त संग्रहण से मिलने वाले पारिश्रमिक की मांग एवं उससे जीविकोपार्जन पर प्रभाव का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है म.प्र. शासन को भी करोड़ो रूपये की राजस्व की प्राप्ति तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य से होती है

शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि तेंदूपत्ता संग्रहण से जहॉ एक ओर म.प्र. शासन के राजस्व वृध्दि में विशेष योगदान है वही छिन्दवाड़ा जिले की तामिया एवं सौंसर तहसील के अदिवासी व गैर आदिवासी लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है एवं इन लोंगो के परिवार के जीविकोपार्जन में उल्लेखनीय योगदान है।

क्र.	परिवार	तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व परिवारों की आय (रुपयों में)	तेंदूपत्ता संग्रहण के पश्चात् परिवारों की कुल आय (तेंदूपत्ता संग्रहण सहित) (रुपयों में)
1	A	25,000.00	45,000.00
2	B	37,500.00	68,800.00
3	C	42,200.00	69,300.00
4	D	27,500.00	46,800.00
5	E	34,500.00	54,000.00
6	F	47,000.00	63,800.00
7	G	36,500.00	59,800.00
8	H	51,500.00	72,500.00
9	I	36,500.00	53,500.00

10	J	42,500.00	64,200.00

स्त्रोत'–संग्राहकों से प्रश्नावली एवं अनुसूची के द्वारा प्राप्त जानकारी।

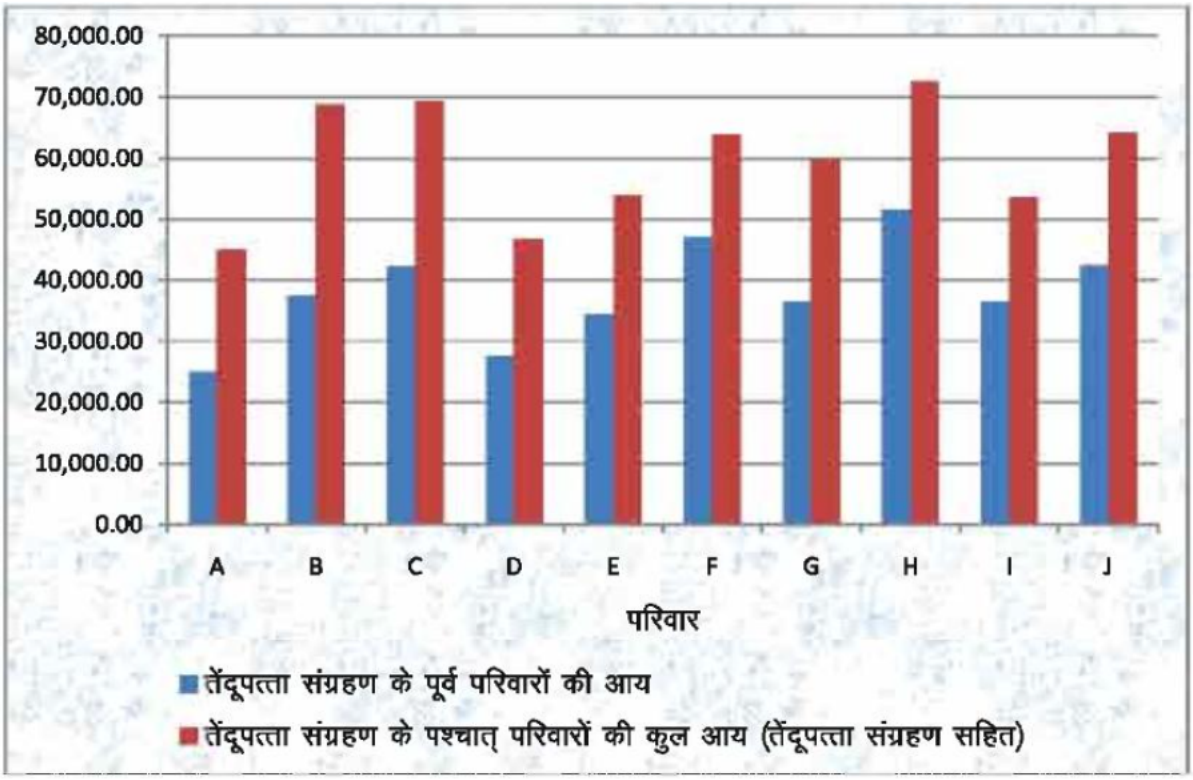

उपरोक्त वर्णित तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोग जो परंपरागत कृषि मजदूरी से वर्ष भर में उनको कम आय प्राप्त होती है ,लेकिन तेंदूपत्ता संग्रहण से केवल 2 से 2.5 महीने में ही वे लगभग साल भर की कृषि मजदूरी के बराबर आय प्राप्त कर लेते हैं। मेरे द्वारा शोध कार्य करते समय अनुसूची एवं प्रश्नावली के माध्यम से ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्राहकों से गहन पूछताछ की गई हैं। एवं उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पाया गया है कि परिवार A तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 25000 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 45000 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है। परिवार B तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 37500 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 68800 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है। परिवार C तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 42200 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 69300 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है। परिवार D तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्ष भर में केवल 27500 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 46800 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है। परिवार E तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 34500 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 54000 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है। परिवार F तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 47000 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 63800 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है। परिवार G तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 36500 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 59800 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है।

परिवार H तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 51500 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 72500 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है। परिवार I तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 36500 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के

बाद उसे वर्ष भर में 53500 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है। परिवार J तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व कृषि मजदूरी एवं अन्य कार्यो से वर्षभर में केवल 42500 रु मजदूरी के रुप में प्राप्त करता था तथा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करने के बाद उसे वर्ष भर में 64200 रु मजदूरी प्राप्त हुई। जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ एवं मजबूत बनाती है।

अतः कहा जा सकता है कि तेंदूपत्ता संग्रहण के पूर्व परिवारों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नही थी ,लेकिन तेंदूपत्ता संग्रहण के पश्चात् संग्राहक परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी सुद्रढ़ एवं मजबूत हुई है।

VII सुझाव

छिन्दवाड़ा जिला अदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें अशिक्षा व अज्ञानता सबसे बड़ी समस्या है तेंदूपत्ता संग्रहण हेतु संग्रहको को शिक्षित किया जाना चाहिए। सग्रहको को वनोपजो के उत्पादन हेतु उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संग्रहको को व्यवसायिक का गुण विकसित करने हेतु वन विभाग द्वारा प्रशिक्षण तथा उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

VIII उपसंहार

शोध कार्य करते समय गहन पूछताछ एवं अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनायी गयी तेदूपत्ता नीति का आज भी मध्यप्रदेश के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रो में सही तरीकें से क्रियान्वयन नही हो पा रहा है गॉव में तेदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे ग्रामीण आदिवासी, हरिजन, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी के लोगों को उनकी मेहनत का सही प्रतिफल आज भी नहीं मिल पा रहा है शासन द्वारा तेदूपत्ता नीति में कई बार परिवर्तन करने के बाद भी इसका अधिकतम लाभ तेन्दूपत्ता संग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। प्राथमिक स्तर पर आज भी उन योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन नही हो पा रहा है साथ ही तेदूपत्ता संग्रहण की जो दरें शासन द्वारा निर्धारित की गयी है वह भी काफी कम है साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे आदिवासी, हरिजन, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के लोगों को मजदूरी का भुगतान काफी देरी से हो पाता है एवं पूरा पैसा आज भी नही मिल पाता है।

अतः आवश्यक है कि मध्यप्रदेश शासन को योजनाओं में और भी संशोधन करने चाहिए तथा सतत् मूल्यांकन के आधार पर वरिष्ट अधिकारियों को आदेश एवं निर्देश प्रसारित किये जाने चाहिए कि वे क्षेत्र में जाकर संग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करें एवं उनको आने वाली समस्या का पता करके मौके पर उसका सुधार करने की कोशिश एवं किये गये प्रयास से शासन के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते रहें। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को भुगतान संबंधि सभी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाना चाहिए। ताकि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उचित पारिश्रमिक समय पर प्राप्त हो जाये। एवं उनका जीवन स्तर उन्नत हो सके।

IX निष्कर्ष

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि तेन्दूपत्ता संग्रहण के पूर्व ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की आय अत्यधिक कम थी, किन्तु तेन्दूपत्ता संग्रहण के पश्चात् परिवारों की आय में काफी वृद्धि हुई है एवं उनका जीवन स्तर उन्नत हुआ है। उदाहरण के लिये परिवार A की आय केवल 25 हजार रूपये थी जबकि तेन्दूपत्ता संग्रहण के पश्चात उस परिवार की आय बढ़कर 45 हजार रूपये हो गई। जो कि इन परिवारों की खाली समय की अतिरिक्त आय मानी जाती है। इससे इनके परिवार का भरण पोषण एवं जीवनस्तर उन्नत होने में काफी मदद हो सकी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें एवं अधिनियम

[1] ''भारत 2005'' प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

[2] ''इयर बुक–2005'' किरण प्रकाशन प्रा.लि. दिल्ली – 2005

[3] म.प्र एक भौगोलिक अध्ययन प्रमिला कुमार म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल–2005

[4] ''सामान्य अध्ययन'' राजमाला एवं संस्कृति संचालनालय, म.प्र हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (म. प्र.) 2005

[5] म.प्र. संपूर्ण अध्ययन– 2005 उपकार प्रकाशन आगरा–2

[6] M.P. survey for Development of forest & medicinal plants Govt. of M.P. Dept. of Forest (M.P.)

[7] Thirty years of foresty In Madhya Pradesh M.I.S.& E Division Forest department, Govt. of M.P. Bhopal – 1990

[8] Research methodology & systems Analysis Prabkar V.K.Anmol publications, pvt. Ltd. New Delhi- 2001

[9] औषधीय एवं सुगंधित पौध विकास हेतु म.प्र. की रणनीति (2004–2009) म.प्र. शासन, वन विभाग

[10] फारेस्ट ऑफ म.प्र. देयर पोटेंशल एण्ड स्कोप आफ डेवलपमेंट वन विभाग म.प्र. शासन, भोपाल– 1963

[11] Report of the commission on Tribal economy in forest Area Govt. of India New Delhi- 1967

[12] सहकारी समितियाँः– उभरते मुद्दे एवं चुनौतियाँ संजीव चोपड़ा, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, 2004

[13] नये युग में सहकारिता एवं सहकारी बैंक कटार सिंह कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, 2004

[14] भारत में सहकारी विपणन डॉ. एल. वी. सिंह

[15] भारतीय सहकारिता आंदोलनः अतीत, वर्तमान और भविष्य डॉ. पी. एन. शंकरन, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2004

पत्रिकाएँ

[1] ''वन– धन त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष 4, अंक–4

[2] ''वन– धन'',त्रैमासिक पत्रिका, दिसम्बर 2004, अंक–4 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, पोली पाथर जबलपुर (म.प्र.)

[3] मार्गदर्शिका –1995, म. प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या., भोपाल (म. प्र.)

[4] मार्गदर्शिका, म. प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, भोपाल द्वारा प्रकाशित

[5] मार्गदर्शिका – म. प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, भोपाल (02–06–95)